

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी

समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

विविध आपराधिक प्रकरण क्र.14 / 2014
संस्थित दिनांक— 12.02.2014

पार्वतीबाई चौहान पति रतनलाल चौहान,
आयु—50 वर्ष, व्यवसाय— गृहकार्य,
निवासी बड़वानी, हाल मुकाम दवाना
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

.....प्रार्थी

वि रु द्ध

रतनलाल चौहान पिता लटिया चौहान,
आयु—55 वर्ष, व्यवसाय—सेवानिवृत्त कर्मचारी,
निवासी गोकुल नगर, सेगांव
जिला बड़वानी

.....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा	— श्री हेमन्त वर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिप्रार्थी	— एकपक्षीय ।

—: आ दे श :-

(आज दिनांक 08/02/2016 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी के आवेदन धारा—125 द.प्र.सं. दिनांक 12.02.14 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रार्थी ने अपने पति प्रतिप्रार्थी से स्वयं के भरण—पोषण हेतु प्रतिमाह 10,000 /—रुपये (अक्षरी दस हजार रुपये) दिलवाने का निवेदन किया है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की पत्नी है तथा प्रार्थी का विवाह प्रतिप्रार्थी से आवेदन संस्थित किये जाने के लगभग 30 वर्ष पूर्व हुआ था । यह भी तथ्य स्वीकृत है कि उक्त विवाह से प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी की 5 संतानें हैं ।
3. प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह के बाद से ही प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी के साथ उसके घर पर रहकर अपने पत्नी धर्म का पालन किया, लेकिन प्रतिप्रार्थी अनावश्यक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और बगैर किसी कारण के मारपीट एवं गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी दी । प्रतिप्रार्थी द्वारा किये गये उक्त दुर्व्यवहार के बाद भी प्रार्थी अपना पत्नी धर्म निभाती रही । आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लगभग 2 माह पूर्व प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को अनावश्यक रूप से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया तथा प्रार्थी को यह धमकी दी कि प्रार्थी यदि प्रतिप्रार्थी

के साथ रहने के लिये आई तो उसके साथ गंभीर घटना घट सकती है, इस कारण मजबूरीवश प्रार्थी अपने ग्राम दवाना में निवास कर रही है और वह पढ़ी-लिखी भी नहीं है, जबकि प्रतिप्रार्थी शासकीय सेवा में होकर उसे 24,000/-रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है । प्रार्थी के साथ उसकी पुत्री सारिका और पुत्र तरुण रहते हैं, तरुण पढ़ाई कर रहा है और पुत्री सारिका की संविदा शिक्षक के रूप में नौकरी लग गयी है । प्रार्थी अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, वह भरण-पोषण के लिये अपने पुत्र पर निर्भर है एवं प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है । प्रार्थी अपने पुत्र से अलग रहकर स्वयं का भरण-पोषण करना चाहती है, इसलिए प्रार्थी को भरण-पोषण के लिये 10,000/-रूपये प्रतिप्रार्थी से दिलवाये जाए, जो प्रतिप्रार्थी देने के लिये सक्षम है ।

4. उसने प्रतिप्रार्थी को सूचना-पत्र अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित किया था, जो प्राप्त होने के बाद प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है और ना ही प्रार्थी को लेने आया, इसलिए प्रार्थी ने यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

5. प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के आवेदन का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि उसने कभी भी प्रार्थी को मारपीट कर अपने घर से नहीं निकाला, वास्तव में प्रार्थी प्रतिप्रार्थी के साथ निवास कर रही है, प्रार्थी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ निवास नहीं कर रही है । प्रतिप्रार्थी को प्रतिमाह 24,000/-रूपये नहीं मिलता है । प्रार्थी ने असत्य आधारों पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना-पत्र प्रेषित किया था, वास्तव में प्रार्थी प्रारंभ से ही प्रतिप्रार्थी से विवाद करती थी और उसे दहेज प्रताड़ना एवं अन्य प्रकरणों में फँसाने की धमकी देती थी । प्रार्थी अपनी बड़ी पुत्री रेखा की डिलेवरी कराने हेतु शासकीय अस्पताल गयी थी और उसके साथ अपने पुत्र गणेश के पास जाकर निवास करने लगी और वहां से वापस नहीं आई । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के भेजे गये सूचना-पत्र का उत्तर भी दिया है । प्रतिप्रार्थी को प्रतिमाह रुपये 22,603/- वेतन प्राप्त होता है, जिससे उसने अपने परिवार हेतु भवन का निर्माण किया है और रुपये 4 लाख का कर्ज बैंक से प्राप्त किया है, जिसकी किश्त प्रतिमाह रुपये 7,000/- वह अपने वेतन से अदा करता है । वह अपने पुत्र तरुण एवं पुत्री सारिका का भी भरण-पोषण करता है । प्रतिप्रार्थी 59 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उसका स्वास्थ्य खराब रहता है और उसमें भी उसे व्यय करना पड़ता है, जबकि प्रतिप्रार्थी का पुत्र गणेश चिकित्सक है और उसे प्रतिमाह 30,000/-रूपये की आय प्राप्त होती है और गणेश की पत्नी संविदा शिक्षक है और उसे 20,000/-रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त होती है । द.प्र.सं. की धारा-125 के प्रावधान अनुसार पुत्र और पुत्री अपनी माता के भरण-पोषण कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के भरण-पोषण का दायित्व उसके पुत्र का भी है । प्रार्थी वर्तमान में प्रतिप्रार्थी के साथ निवास कर रही है, इसलिए उसने प्रतिप्रार्थी को परेशान करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

6. जवाब प्रस्तुत करने के बाद प्रतिप्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध दिनांक 02.02.16 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है ।

7. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है ?
2	क्या प्रार्थी स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
3	क्या प्रतिप्रार्थी प्रार्थी का भरण-पोषण करने के लिये सक्षम है ?
4	क्या प्रतिप्रार्थी एक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर जानबूझकर प्रार्थी का भरण-पोषण करने से इन्कार कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है ?
5	क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह 10,000/-रूपये भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?
6	सहायता एवं व्यय ?

सकारण – निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 का निराकरण :-

8. उक्त विचारणीय प्रश्न एक ही साक्ष्य विवेचना से संबंधित होने से सभी का एक साथ निराकरण किया जा रहा है ।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी पार्वतीबाई (प्रा.सा.1) का कथन है कि विवाह के बाद से वह प्रतिप्रार्थी के साथ ससुराल में कुछ वर्षों तक रही, उसके बाद प्रतिप्रार्थी के साथ बड़वाह, अंजड़ एवं बड़वानी में निवास करती थी । प्रतिप्रार्थी से उसे 5 संतानें हैं, जिनमें से 3 संतानों का विवाह हो चुका है, सभी संताने वयस्क हैं । ढाई-तीन वर्षों से प्रतिप्रार्थी उसके साथ मारपीट एवं गालीगलौज करता था और धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया, तब से वह अपने पुत्र गणेश के साथ ग्राम दवाना में निवास कर रही है । गणेश ग्रामीण क्षेत्र में ईलाज कर प्रतिदिन 200-300 रुपये आय अर्जित कर लेता है और अपने परिवार का भरण-पोषण करता है । गणेश ग्राम दवाना में किराये के मकान में रहता है । गणेश को परिवार के भरण-पोषण एवं उसके भरण-पोषण हेतु काफी कठिनाईयां होती हैं, उसके साथ उसका पुत्र तरुण भी रहता है, उसका भरण-पोषण भी गणेश द्वारा किया जाता है, उसके पति पूर्व में न्यायालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थ था, जिसका वेतन 30,000/-रूपये था, वर्तमान में वह 3-4 माह पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनको पेंशन 18 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलती है । वह वृद्ध होकर अस्वस्थ रहती है तथा कोई कार्य नहीं कर पाती है, उसे उसके भरण-पोषण, कपड़े, चिकित्सा हेतु प्रतिमाह 10,000/-रूपये की आवश्यकता है, जो प्रतिप्रार्थी आसानी से अदा कर सकता है ।

10. उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिप्रार्थी को सूचना-पत्र प्र. पी.1 का प्रेषित किया था, जिसकी प्राप्ति रसीद प्र.पी.2 है । सूचना-पत्र के उपरांत प्रतिप्रार्थी ने उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है ।

11. प्रतिप्रार्थी के एकपक्षीय होने के बाद प्रार्थी की साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ है । प्रार्थी के कथनों का समर्थन उसके साक्षी सारिका (प्रा.सा.2) जो कि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी की पुत्री है तथा गणेश (प्रा.सा.3) जो कि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी का पुत्र है के कथन से भी होता है । उक्त दोनों ही साक्षियों ने प्रतिप्रार्थी द्वारा उनकी माता को मारपीट कर घर से निकाल देने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं ।

12. साक्षी गणेश (प्रा.सा.3) का कथन है कि उसकी माँ स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है तथा वह भी अपनी माँ का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है । उसके परिवार में दो पुत्र एवं एक पत्नी है, उसका छोटा भाई भी उसके साथ निवास करता है, इन सभी का भरण-पोषण उसके द्वारा किया जाता है । वह अपनी माता का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसके पिता को प्रतिमाह 18 से 20 हजार रुपये पेंशन मिलती है और उनके उपर किसी के भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं है तथा वे जानबूझकर उसकी माता का भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं । उसकी माता को भरण-पोषण, कपड़े एवं बीमारी हेतु 10,000/-रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है, जो कि उसके पिता आसानी से अदा कर सकते हैं ।

13. साक्षी सारिका (प्रा.सा.2) ने स्वयं द्वारा और अपने भाई गणेश द्वारा प्रार्थी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं होना बताया है । साक्षी का यह भी कथन है कि उसके पिता उसकी माता का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं, फिर भी उसके पिता उसकी माता का भरण-पोषण नहीं करते हैं ।

14. प्रार्थी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित कराये हैं, वे प्र.पी. 1 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रतिप्रार्थी को दिया गया सूचना-पत्र है, प्र.पी.2 उसकी प्राप्ति रसीद है । साक्ष्य के दौरान प्रतिप्रार्थी के एकपक्षीय होने के कारण प्रार्थी की साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ है ।

15. उक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की पत्नी है और वर्तमान में प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है । प्रार्थी ने स्वयं को प्रतिप्रार्थी से पृथक रहने का कारण प्रतिप्रार्थी द्वारा उसके साथ मारपीट करना और धमकी देना बताया है, जिसका कोई भी खंडन प्रतिप्रार्थी द्वारा नहीं हो सका है । यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी की आयु वर्तमान में लगभग 50 वर्ष से अधिक है और वह एक कम शिक्षित महिला होकर अस्वस्थ रहती है तथा स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है । प्रतिप्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी प्रार्थी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करना तथा उसे धमकी देने के कारण ही प्रार्थी वर्तमान में प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है, जो कि प्रार्थी का प्रतिप्रार्थी से पृथक रहने का पर्याप्त एवं उचित आधार है । प्रार्थी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रार्थी स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम प्रतीत नहीं होती है । प्रतिप्रार्थी ने अपने आवेदन के जवाब में स्वयं का वेतन प्रतिमाह 22,603/-रुपये होना भी स्वीकार किया है और प्रार्थी तथा प्रतिप्रार्थी के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व भी प्रतिप्रार्थी पर नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी प्रार्थी का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति प्रतीत होता है ।

16. ऐसी स्थिति को देखते हुए जबकि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की पत्नी होकर लगभग 50 वर्ष की अस्वस्थ महिला है और वह पर्याप्त कारणों से प्रतिप्रार्थी से पृथक् निवास कर रही है, जबकि प्रतिप्रार्थी वर्तमान में जिला न्यायालय बड़वानी का सेवानिवृत्त लिपिक है तथा उसके उपर किसी अन्य के भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी प्रार्थी का भरण-पोषण करने हेतु पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन प्रार्थी द्वारा सूचना-पत्र दिये जाने के उपरांत भी प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी प्रतीत होती है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6 'सहायता' एवं 'व्यय' :-

17. प्रतिप्रार्थी ने अपने जवाब में अपना वेतन 20603/-रूपये होना स्वीकार किया है तथा जवाब प्रस्तुति के बाद माह जुलाई 2015 में वह सेवानिवृत्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में उसे अपने वेतन रूपये 22,600/- की ही लगभग 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्राप्त होना तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की उपधारणा की जा सकती है, ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को प्रतिमाह रूपये 5,000/- (अक्षरी पांच हजार रूपये) भरण-पोषण के रूप में अदा करने हेतु सक्षम व्यक्ति प्रतीत होता है ।

18. अतः प्रार्थी का आवेदन धारा-125 द.प्र.सं. दिनांक 12.02.14 स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी आदेश तक प्रार्थी को भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह रूपये 5,000/-रूपये (अक्षरी पांच हजार रूपये) द.प्र.सं. की धारा-125 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करे या न्यायालय में जमा कराये । उक्त आदेश आज दिनांक से प्रभावशील होगा ।

19. आवेदन का व्यय रूपये 1,000/- निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी द्वारा अदा किया जाए ।

20. आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी को निःशुल्क दी जाए ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.